

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली, जिला कोटपूतली-बहरोड़।

क्रमांक : 2026 / पीए / 508

दिनांक 27.08.2026

-:: कार्यालय आदेश ::-

मैं स्वाति पारीक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 09/ई.वी./2026 दिनांक 25.08.2026 के द्वारा दिनांक 29.08.2026 का अवकाश घोषित किए जाने के कारण श्रीमती सिमरन कौर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, कोटपूतली को दिनांक 29.08.2026 की रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत किया जाता है। शेष आदेश यथावत् रहेंगे।

Swati Puri
(स्वाति पारीक) 27/8/26

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली
जिला कोटपूतली-बहरोड़

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटपूतली, जिला कोटपूतली-बहरोड़।
2. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01 बहरोड़ (जरिए ई मेल)
3. पुलिस अधीक्षक, कोटपूतली, जिला कोटपूतली-बहरोड़ को इस निर्देश के साथ की सभी आरक्षी केन्द्रों को इस बारे में सूचित किए जाने का श्रम करें। (जरिए ई मेल)
4. सहायक निदेशक अभियोजन, कोटपूतली, जिला कोटपूतली-बहरोड़ को इस लेख के साथ कि संबंधित दिनांक को न्यायालय में पी.ओ./ए.पी.ओ. को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करें।
5. समस्त अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, कोटपूतली-बहरोड़ न्यायक्षेत्र। (जरिए ई मेल)
6. सिस्टम ऑफिसर कोटपूतली को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. कार्यालय पत्रावली।

Swati Puri
(स्वाति पारीक) 27/8/26

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली
जिला कोटपूतली-बहरोड़